

जुलूस इत्यादि पर व्यय (अर्थात साधारण पार्टी प्रचार वाले आयोजनों को छोड़कर) (अनुबंध 2 के अनुसार संलग्न करें)

NIL

NIL

VI अनुसूची-1 में उल्लिखित अन्य राशियाँ, शिल्पो जुलूस आदि) (अनुबंध 3 के अनुसार संलग्न करें)

III केबल नेटवर्क, बल्क एसएमएस या इंटरनेट और सोशल मीडिया सहित प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार (अनुसूची 4 के अनुसार संलग्न करें)

NIL

IV अथर्वी द्वारा प्रयुक्त प्रचार वाहन (नौ) पर व्यय (अनुसूची 5 के अनुसार संलग्न करें)

71100-00

~~71100-00~~

V प्रचार कार्यकर्ताओं/अधिकर्ताओं का व्यय (अनुसूची 6 के अनुसार संलग्न करें)

~~139,650~~  
139,650

VI अन्य कोई प्रचार व्यय (अनुसूची 6 के अनुसार संलग्न करें)

कुल योग

210750-00

(85)

भाग-III अभ्यर्थी द्वारा खर्च की गई निधियों के स्रोत का सार

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपये में)
1	2	3
I	निर्वाचन प्रचार के लिए प्रयुक्त निजी निधि की राशि (अनुसूची 7 के अनुसार संलग्न करें)	210750.00
II	पार्टी (टिप्पणियों) से नकदी या चेक इत्यादि में प्राप्त एकमुश्त राशि (अनुसूची 8 के अनुसार संलग्न करें)	/
III	किसी व्यक्ति/कंपनी/फर्म/संघों/वैयक्तिक निकायों इत्यादि से ऋण, उपहार या चंदे इत्यादि के रूप में प्राप्त एकमुश्त राशि (अनुसूची 9 के अनुसार संलग्न करें)	
	कुल	

क्र.सं.	
1	
I	निव अनु
II	पार्टी (अनु
III	किसी ऋण, (अनु
	कुल

भाग-III अभ्यर्थी द्वारा खर्च की गई निधियों के स्रोत का सार

विवरण	राशि (रुपये में)
2	3
निर्वाचन प्रचार के लिए प्रयुक्त निजी निधि की राशि (अनुसूची 7 के अनुसार संलग्न करें)	210750-
पार्टी (टिप्पणियों) से नकदी या चेक इत्यादि में प्राप्त एकमुश्त राशि (अनुसूची 8 के अनुसार संलग्न करें)	
किसी व्यक्ति/कंपनी/फर्म/संघों/वैयक्तिक निकायों इत्यादि से ऋण, उपहार या चंदा इत्यादि के रूप में प्राप्त एकमुश्त राशि (अनुसूची 9 के अनुसार संलग्न करें)	
कुल	210750-

# भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये

रु.10

TEN  
RUPEES

Rs.10



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

94AC 270526



निम्नलिखित सत्यवादी एवं सत्यनिष्ठापूर्ण विना प्रकाश के प्रमाणित किया गया है।

(1) यह कि मैं 333/2017 को लोक सभा/विधानसभा के लिए संभारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में राज्यीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन करने वाला अभ्यर्थी या बिना परिणाम 11-03-2017 को घोषित किया गया था।

(2) यह कि उक्त निर्वाचन के संबंध में दिनांक 14-02-17 को मुझे नामांकित किया गया था एवं इसके परिणाम की घोषणा भी तारीख, दोनों दिन को सम्मिलित करते हुए, को बीच में/मेरे निर्वाचन अधिकारियों ने मेरे एवं मेरे निर्वाचन अधिकारियों द्वारा उपगत/प्राधिकृत सभी व्यक्तियों का पृथक एवं तारीखें देकर रखा है।

(3) यह कि उक्त लेखा, विद्वानों/अधीनस्थों द्वारा इस उद्देश्य के लिए दिए गए सविस्तर में अनुपस्थापित किया गया था एवं उक्त सविस्तर इस लेखा में उल्लिखित वाक्य/विल के साथ संलग्न है।

(4) यह कि निर्वाचन के संबंध में इसमें संलग्न मेरे निर्वाचन व्यय के लेखों में मेरे या मेरे निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रयोगित करने वाले सभ्य/संगठन/मुझे सहाय्य देने वाले व्यक्तियों के निवासों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत निर्वाचन व्यय की सूची में दर्शन में शामिल हैं एवं उनमें लोक-संघीय अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) के संतर्गत स्पष्टीकरण 1 एवं 2 द्वारा इससे अनुसर्गत नैतिकता की धारा में संबंध में दिए गए व्यय को छोड़ कर) कुछ भी विधायक अथवा सभा/सभा नहीं रखा है।

(5) यह कि निर्वाचन के संबंध में उक्त लेखा के संलग्न-1 में संलग्न निर्वाचन व्ययों के सार विवरण में/मेरे निर्वाचन अधिकारियों, मुझे प्रयोगित करने वाले सभ्य/संगठन/ मुझे सहाय्य देने वाले व्यक्तियों के निवासों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत व्यय भी शामिल हैं।

(6) यह कि पूर्व पैरा (1) से (5) तक में दिए गए कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं और इनमें कुछ भी एकाग्र नहीं है एवं किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया नहीं गया है।

अभिज्ञाता  
मेरे सामने 201... के इस... दिन में... द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान/अभ्यास की गई है।  
प्रमाणित अधिकारी, अर्थात् प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा अग्रम अग्रम या गौरी पतिवर्ग के द्वारा प्रमाणित किया गया है।

Savit  
(88)  
94 DLS

1585  
I have Certified  
the signature of the depositor that it is his own  
and the contents of the instrument are  
correctly stated & Exhibited to me.  
Kamaldeep Singh  
Address: ...  
Dist: Kanpur

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, कुशीनगर।

निर्वाचन आवश्यक/महत्वपूर्ण

संख्या: 913 /29क-वि0स0सा0नि0-2017

दिनांक 14 जुलाई, 2017

विषय:- विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2017 में घायल श्री शिवमंगल सिंह, आरक्षी को अनुग्रह राशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

पुलिस अधीक्षक,  
कुशीनगर।

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या-1669 दिनांक 14 जून, 2017 एवं पत्र संख्या-1687 दिनांक 30 जून, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा श्री शिवमंगल सिंह आरक्षी उन्नाव जिले से हुगाव झूटी हेतु जनपद-कुशीनगर में आये थे। अज्ञात वाहन द्वारा दिनांक 02-03-2017 को टक्कर मार देने के कारण वह घायल हो गये तथा उनका उपचार स्थानीय चिकित्सालयों में कराया गया तदोपरान्त उनकी पत्नी श्रीमती सरिता सिंह पत्नी श्री शिवमंगल सिंह द्वारा आर्थिक सहायता दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-268/61-2014-114/3-2007(नि-3) दिनांक 21 अप्रैल, 2014 द्वारा लोक सभा/विधान सभा एवं उप निर्वाचनों-2014 में चुनाव झूटी में तैनात किये जाने वाले कर्मधारियों को अनुग्रह धनराशि आच्छादित किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-1573/सी०ई०ओ०-3 दिनांक 25-04-2014 द्वारा उल्लिखित शासनादेश के अर्न्तगत धनराशि का उल्लेख करते हुये अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या अपेक्षित अभिलेख यथा निर्वाचन झूटी प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, एफ०आई०आर० की प्रति पोस्टमार्टल रिपोर्ट आदि संलग्न कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे अनुग्रह राशि दिये जाने के सन्दर्भ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र दिनांक 25-04-2014 द्वारा दिये गये निर्देशों के अर्न्तगत शासनादेश दिनांक 21-04-2014 में निहित नियमों एवं शर्तों के अनुसार अपनी स्पष्ट आख्या संस्तुति सहित इस कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। परन्तु वांछित सूचना अब तक प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः आप अपना व्यक्तिगत ध्यान देते हुये वांछित सूचना इस कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को सूचना भेजा जा सके।

(आन्दा वामसी)  
जिलाधिकारी/  
जिला निर्वाचन अधिकारी,  
कुशीनगर।

संख्या: 913<sup>CU</sup> /तद्दिनांक।

प्रतिनिधि:-

✓-

2-

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

श्रीमती सरिता सिंह पत्नी श्री शिवमंगल सिंह क्वार्टर नं०-144 टाहप-1 रिजर्व पुलिस लाईन, उन्नाव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आन्दा वामसी)  
जिलाधिकारी/  
जिला निर्वाचन अधिकारी,  
कुशीनगर।

(आन्दा वामसी)  
जिलाधिकारी/  
जिला निर्वाचन अधिकारी,  
कुशीनगर।

अनुसूची-7

निर्वाचन प्रचारण के प्रयोग में लाई गई स्वयं की निधि का विवरण

क्रम-सं०	दिनांक	नकदी	अदाकर्ता बैंक के विवरण के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट/चेक सं० आदि	कुल धनराशि रुपये में	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
		210750.00		210750.00	
कुल		210750.00		210750.00	